



बलस्थ मूलं विज्ञानम्

# कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र(सेप्टेम)

मानव क्षमता की पहचान, जाँच एवं मान्यता प्रदान करना



Scrutinize, Actualize &amp; Recognize Human Potential

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(डीआरडीओ)

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

"सरकार ऐसे कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक युद्धक्षेत्र प्रणालियों को अभिव्यक्त करता है तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है"

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) के अंतर्गत वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी) पद के 561 रिक्तियों और तकनीशियन-ए (टेक-ए) पद के 203 रिक्तियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

### विज्ञापन संख्या : सेप्टेम-11

#### महत्वपूर्ण तिथियाँ

पात्रता की निर्णयिक तिथि	<b>01.01.2026</b>
ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रारंभिक तिथि	<b>11.12.2025</b>
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	<b>01.01.2026, 23:55 Hours</b>
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	<b>03.01.2026, 23:55 Hours</b>
आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि	<b>04.01.2026 - 06.01.2026, 23:55 Hours</b>
टियर-I (सीबीटी) परीक्षा की तिथि	डीआरडीओ की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन(डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत, राष्ट्र की तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा अपेक्षित अत्याधुनिक युद्धक्षेत्र प्रणालियों के अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित है। डीआरडीओ देश भर में फैली अपनी प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं/इकाइयों में विभिन्न विषयों/क्षेत्रों/ट्रिडों के व्यापक धूखलाओं में रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और संबंधित गतिविधियों पर काम करने के लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कैरियर के अवसर प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तकनीकी संवर्ग (डीआरटीसी) के अंतर्गत उपरोक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए नीचे भाग-1 के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले पूरा विज्ञापन(सभी भाग) सावधानीपूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफएक्यू) डीआरडीओ की वेबसाइट <https://www.drdo.gov.in> पर उपलब्ध हैं। इस विज्ञापन में पांच भाग हैं। अनुवाद संबंधी अस्पष्टता, यदि कोई हो, तो इस विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लेकर हल किया जाएगा। किसी भी अस्पष्टता के मामले में, डीआरडीओ का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी विवाद केवल दिल्ली के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

#### भाग-1: आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (ई क्यू आर)

##### 1.1 वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी): समूह 'बी', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी

###### 1.1.1 वेतनमान

7वें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स स्तर-6(₹35400-₹112400) और भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार अन्य लाभ एवं भत्ते देय होंगे।

###### 1.1.2 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थी के पास आवेदित पदों के लिए पात्रता की निर्णयिक तिथि तक, निम्नलिखित तालिका में संबंधित पोस्ट कोड के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जैसे बीएससी/डिप्लोमा होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता का अंतिम परीक्षा परिणाम, पात्रता की निर्णयिक तिथि तक प्रतीक्षित है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हे आवेदन नहीं करना चाहिए। केवल पात्रता पूरी करने मात्र से, कोई अभ्यर्थी किसी पद पर चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी का दावा करने का हकदार नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि पात्रता की निर्णायक तिथि को किसी भी विषय/क्षेत्र में उच्च योग्यता जैसे विज्ञान में स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, प्रौद्योगिकी स्नातक, इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री आदि रखने वाले ऐसे अध्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 1.1.3 वरिष्ठ तकनीकी सहायक-बी (एसटीए-बी) के लिए रिक्तियों का विवरण:

पद कोड	विषय / क्षेत्र	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (ई क्यू आर)	रिक्त पद							*तैनाती केंद्र
			एस. सी.	एस.टी. .	ओ.बी. सी.- एन. सी.ए.ल.	ई.ड. ब्ल्यू. एस.	यू.आ.र.	कुल रिक्त पद	पी. डब्ल्यू.बी.डी.	
0101	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	1	0	1	1	0	3		A1, C2
0102	रसायनिक इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त रसायनिक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	3	1	4	1	6	15		A2, B2, D2, H1, J1, N1, P1, V1
0103	रसायन विज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान में बी.एससी. डिग्री	3	0	5	3	11	22		A2, B2, C1, D2, H2, J2, K1, K2, M2, N1, P1, V1
0104	सिविल इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	1	1	1	1	7	11		B1, B2, C1, D2, P1
0105	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीओईएसीसी द्वारापाठ्य क्रम या बीसीए या एमसीए मान्य नहीं हैं)	23	9	39	14	75	160		A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, H2, J2, K2, M1, P1, V1
0106	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	1	3	3	0	4	11		B2, C1, C2, H2
0107	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	6	2	10	6	23	47		A1, A2, B1, B2, D2, H1, H2, P1, V1
0108	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	24	11	30	6	40	111		A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, H1, H2, J2, K2, P1, V1
0109	भूविज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान में बी.एससी. डिग्री	0	0	0	1	0	1		C1

0110	इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्र॔मेंटेशन एंड कंट्रोल या इंस्ट्र॔मेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	0	0	1	0	5	6	यह रिक्तियों के संदर्भ में पोस्ट कोड 0101 से 0117 तक लागू है।	B1, D2, K1, K2, N1
0111	इंस्ट्र॔मेंटेशन इलेक्ट्रौनिक्स इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्ट्र॔मेंटेशन एंड इलेक्ट्रौनिक्स इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	1	0	1	0	0	2		B2
0112	पुस्तकालय विज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या तकनीकी बोर्ड या संस्थान से विज्ञान में डिग्री के साथ पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा या डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री	0	1	0	0	4	5		A1, B2, D2, H2, K2
0113	गणित विज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से गणित में बी.एससी. डिग्री	1	0	1	0	4	6		D2, P1, V1
0114	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी (उत्पादन या ऑटोमोबाइल या प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग या रखरखाव आदि) में डिप्लोमा	14	10	37	14	52	127		A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, H1, H2, J1, J2, K2, M2, N1, P1, V1
0115	मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग	एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा	2	1	1	1	7	12		A2, B2, H2, P1
0116	भौतिकी विज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी में बी.एससी.डिग्री	3	4	2	1	8	18		C1, D1, D2, J2, K2, M2, V1
0117	मनोविज्ञान	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान में बी.एससी डिग्री	0	0	0	1	3	4		D2
		कुल	<b>83</b>	<b>43</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>249</b>	<b>561</b>	<b>21</b>	

\* अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ तैनाती केंद्र।

## 1.2 तकनीशियन-ए (टेक-ए): समूह 'सी', अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी

### 1.2.1 वेतनमान

7वें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स स्तर-2(₹19900-₹63200) और भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार अन्य लाभ एवं भत्ते देय होंगे।

### 1.2.2 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (ई क्यू आर)

अभ्यर्थी के पास आवेदित पदों के लिए पात्रता की निर्णायक तिथि तक, निम्नलिखित तालिका में संबंधित पोस्ट कोड के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता का अंतिम परीक्षा परिणाम, पात्रता की निर्णायक तिथि तक प्रतीक्षित है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हे आवेदन नहीं करना चाहिए। केवल पात्रता पूरी करने मात्र से, कोई अभ्यर्थी किसी पद पर चयन हेतु अपनी उम्मीदवारी का दावा करने का हकदार नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि पात्रता की निर्णायक तिथि को किसी भी विषय/क्षेत्र में उच्च योग्यता जैसे विज्ञान में स्नातकोत्तर, डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी, प्रौद्योगिकी स्नातक, इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री आदि रखने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

डिप्लोमा या विज्ञान में स्नातक की डिग्री वाले अभ्यर्थी, तकनीशियन-ए में भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे, जब ऐसे अभ्यर्थी तकनीशियन-ए की भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते हों।

**1.2.3 तकनीशियन-ए (टेक-ए) के लिए रिक्तियों का विवरण**

पद कोड	विषय /क्षेत्र	**आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (ई क्यू आर)	रिक्त पद									*तैनाती केंद्र
			एस. सी.	एस. टी.	ओ.बी सी.-एन. सी.ए.ल.	ई.डब्ल्यू एस.	यू.आर.	कुल रिक्त पद	मे. खिलाड़ी	भू.पू.सै. निक	पी. डब्ल्यू.बी. डी.	
0201	बुक बाइंडर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) बुक बाइंडर या ऑफसेट मशीन ऑपरेटर सह बुक बाइंडर ट्रेड या ऑफसेट प्रिंटिंग ट्रेड या लिथो-ऑफसेट मशीन माइंडर में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	0	1	0	2	3	0	0	कैट ए [02]	
0202	कार्पेटर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) कार्पेटरट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	1	0	1	2	4	0	1	कैट बी [02]	B2, D2, K2
0203	सीएनसी ऑपरेटर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) सीएनसी ऑपरेटर ट्रेड या सीएनसी प्रोग्रामर सह ऑपरेटर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	0	1	1	1	3	0	0	कैट सी [02]	C1, J2, P1
0204	कोपा	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक (कोपा) ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	7	1	15	5	24	52	2	2	A1, B2, C1, D1, D2, H2, J2, K2, N1, P1, V1	
0205	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल) ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	0	2	1	3	6	0	1	B2, C2, H2, V1	
0206	इलेक्ट्रीशियन	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन या इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	6	3	4	2	15	30	0	2	यह रिक्तियों के संदर्भ में पोस्ट कोड 0201 से 0216 तक लागू है।	B1, B2, C2, D2, H1, H2, J2, K1, N1, P1

0207	इलेक्ट्रॉनिक्स	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या रेडियो और टीवी मैकेनिक या रडार मैकेनिक या सूचना व संचार प्रौद्योगिकी सिस्टम रखरखाव या आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखरखाव या औद्यागिक इलेक्ट्रॉनिक्स रखरखाव ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	4	3	5	3	16	31	1	4	B1, B2, D1, D2, H2, J2, K2, V1
0208	फिटर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) फिटर या बैंच फिटर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	4	1	7	2	11	25	2	3	A2, B2, C2, D2, H2, J1, P1
0209	मशीनिस्ट	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) मशीनिस्ट ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	1	3	0	8	12	0	0	B1, B2, C2, D2, H2, M2
0210	मैकेनिक (मोटर वाहन)	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) मैकेनिक (मोटर वाहन) ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	1	0	1	0	5	7	0	2	A1, B2, K2, P1, V1
0211	ऑप्टिकल वर्कर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) ऑप्टिकल वर्कर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	1	0	1	0	0	2	0	0	D1
0212	फोटोग्राफर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) फोटोग्राफर या डिजिटल फोटोग्राफर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	1	0	0	0	4	5	0	1	C1, D2, K2, M1, V1
0213	शीट मेटल वर्कर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) शीट मेटल वर्कर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	1	0	0	2	3	0	0	B2, H2
0214	सर्वेयर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) सर्वेयर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	0	0	0	1	1	0	0	C1
0215	टर्नर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) टर्नर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	0	1	2	1	4	8	0	0	B2, H2, P1

0216	वेल्डर	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से X <sup>th</sup> कक्षा या समकक्ष और (ii) वेल्डर ट्रेड में मान्यता प्राप्त आईटीआई से प्रमाणपत्र।	1	1	2	2	5	11	1	0		B2, C2, H2, P1
		कुल	25	13	44	18	103	203	6	16	8	

\* अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ तैनाती केंद्र।

#### \*\* आवश्यक शैक्षणिक योग्यता(ई क्यू आर)

यदि कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(ITI), अपेक्षित विषय/ट्रेड में प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास अपेक्षित विषय/ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र हो या जिनके पास अपेक्षित विषय/ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र हो , या जिनके पास अपेक्षित विषय/ट्रेड में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाणपत्र हो, आवेदन कर सकते हैं।

### 1.3 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता (ई क्यू आर) से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

- क) रिक्तियों की संख्या संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस रिक्ति को खाली रखा जा सकता है। कुल रिक्तियों की संख्या में ईएसएम/एमएसपी/पीडब्ल्यूबीडी की रिक्तियों की संख्या, शामिल है।
- ख) अभ्यर्थी द्वारा उपलोड किए गए शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र पर जारी करने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। यदि ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि, पात्रता की निर्णायिक तिथि के बाद है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी को अंतिम अर्हक परीक्षा परिणामों की घोषणा की तिथि दर्शाते हुए समेकित अंक पत्र या परिणाम की घोषणा की तिथि दर्शाते हुए अंतिम सेमेस्टर/वर्ष की अंक पत्र अपलोड करना होगा। यदि इनमें से किसी भी दस्तावेज़ में परिणाम की घोषणा की तिथि नहीं है, तो अभ्यर्थी को दस्तावेज़ सत्यापन के समय संबंधित बोर्ड/विश्व विद्यालय से परिणाम की घोषणा की तिथि स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ग) यदि कोई अभ्यर्थी निर्णायिक तिथि तक, कोई अतिरिक्त योग्यता या उच्च योग्यता प्राप्त कर लिया हो या अध्ययनरत हो, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान इसका उल्लेख करना चाहिए।
- घ) भाग 1 में दी गई तालिका के संदर्भ में: सभी संक्षिप्ताक्षरों/ कोडों का वही अर्थ होगा जो नीचे दर्शाया गया है-
- i. बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति(पीडब्ल्यूबीडी): कैट ए: (a) अंधापन और कम दृष्टि; कैट बी: (b) बहरा और कम सुनने वाला; कैट सी: (c) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मांसपेशियों के अपव्यय सहित लोकोमोटर विकलांगता; कैट डी: (d) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी और (e); खंड (a) से (d) के तहत आने वाले व्यक्तियों में से बधिर- अंधापन सहित बहु-विकलांगता(O.M. No. 36035/02/2017-Estt(Res), dated 15 January 2018)।
  - ii. तैनाती केंद्र के कोड: A1=अहिल्यानगर; A2=अंबरनाथ; B1=बालासोर; B2=बैंगलुरु; C1=चंडीगढ़; C2=चेन्नई; D1=देहरादून; D2=दिल्ली; H1=हल्द्वानी; H2=हैदराबाद; J1=जगदलपुर; J2=जोधपुर; K1=कानपुर; K2=कोची; M1=मसूरी, M2=मैसूर; N1=नासिक; P1=पुणे; V1=विशाखापट्टनम्।

### भाग-2 : सेवा शर्त तथा पात्रता मानदंड

#### 2.1 पारिश्रमिक और सेवा शर्त

भर्ती किए गए अभ्यर्थी को आवेदित पद के वेतन स्तर (7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स) के अनुसार वेतन मिलेगा और भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, शिशु शिक्षा भत्ता, यात्रा छुट्टी रियायत, चिकित्सा सुविधाएं, सीएसडी सुविधा और अन्य भत्ते/अग्रिम और दूसरे लाभ के हकदार होंगे। भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस)/एकीकृत पेंशन योजना(यूपीएस) के तहत कवर किया जाएगा। डीआरडीओ के पास अधिकांश प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं में आवासीय क्रार्टरों, सामान्य सुविधाओं और खेल सुविधाओं के साथ हरा-भरा परिसर हैं। भर्ती किए गए अभ्यर्थी केंद्र सरकार के नियमों के अंतर्गत आयेंगे। डीआरडीओ में कार्मिक नीतियां अच्छी तरह से निर्धारित हैं। चयनित अभ्यर्थियों को भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ क्षेत्रों सहित भारत संघ की सीमा के भीतर कहीं भी सेवा करने के लिए बाध्य होंगे। इन पदों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीआरटीसी की योग्यता आधारित लिमिटेड फ्लैक्सिब्ल कोम्प्लीमेंटिंग योजना के तहत कवर किया गया है।

## 2.2 तैनाती की शर्तें तथा तैनाती केन्द्रों की प्राथमिकताएँ

अभ्यर्थी जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके पोस्ट कोड से संबंधित विभिन्न केंद्र (भाग 1.3 घ(ii) में कोड देखें) पर तैनाती के लिए अपनी वरीयता जरूर भरे। अभ्यर्थी द्वारा भरी गई तैनाती की वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। बाद में, इसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, डीआरडीओ के पास संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर भारत में कहीं भी अभ्यर्थी को तैनात करने का अधिकार सुरक्षित है। अभ्यर्थियों को अपनी पहली तैनाती के स्थान पर कम से कम पांच साल की सेवा करना अनिवार्य है तथा इस अवधि के दौरान स्थानांतरण के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर डीआरडीओ द्वारा उन्हें जनहित(पब्लिक इन्टरेस्ट) में अन्य तैनाती स्थेशनों पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

## 2.3 पात्रता मानदंड

सभी पात्रता शर्तें इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता की निर्णयिक तिथि के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

### क) राष्ट्रीयता

केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।

### ख) आयु सीमा

पात्रता की निर्णयिक तिथि (**01.01.2026**) को अभ्यर्थी की आयु 18-28 वर्ष के बीच होनी चाहिए(ऊपरी आयु सीमा में छूट, भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार देय)। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि 10वीं/ मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार होनी चाहिए और बाद में इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

### ग) आयु में छूट

निम्नलिखित तालिका में दी गई श्रेणियों/समुदायों के लिए आयु में छूट मानदंड अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर लागू होगा:-

क्रम संख्या	श्रेणी	आयु में छूट (वर्षों में)
1.	अन्य पिछड़ा वर्ग(एनसीएल)	3
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5
3.	पीडब्ल्यूडी. + यू.आर(अनारक्षित)	10
4.	पीडब्ल्यूडी + अन्य पिछड़ा वर्ग(एनसीएल)	13
5.	पीडब्ल्यूडी + अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
6.	केंद्र सरकार में तीन साल की निरंतर सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थी(एसटीए-बी के लिए)	5
7.	केंद्र सरकार में तीन साल की निरंतर सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थी(टेक-ए के लिए)	40 वर्ष तक
8.	केंद्र सरकार में तीन साल की निरंतर सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थी(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)(टेक-ए के लिए)	45 वर्ष तक
9.	दिव्यांग रक्षा कार्मिक	3
10.	दिव्यांग रक्षा कार्मिक(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	8
11.	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) [सेप्टेम-11 भर्ती की पात्रता की निर्णयिक तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा मुक्त हो चुके हो]	सैन्य सेवा की अवधि + 3 वर्ष
12.	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं/ न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हैं।(केवल टेक-ए पदों के लिए)	35 वर्ष तक
13.	विधवा/तलाकशुदा महिलाएं/ न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हैं(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)। (केवल टेक-ए पदों के लिए)	40 वर्ष तक
14.	मेधावी खिलाड़ी(केवल टेक-ए पदों के लिए)	5
15.	मेधावी खिलाड़ी(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)।(केवल टेक-ए पदों के लिए)	10

- i. पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम और केंद्र सरकार में तीन साल की निरंतर सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थी और विकलांग रक्षा सेवा कर्मियों की श्रेणियों वाले अभ्यर्थी, जो यू.आर. रिक्तियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें ऊपर बताई गई श्रेणी के अनुसार केवल उनकी संबंधित श्रेणी के लिए आयु में छूट का लाभ मिलेगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी-एनसीएल श्रेणी से संबंधित कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
- ii. कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय के ज्ञापन, दिनांक 01.07.1998 के अनुसार "आयु छूट/अन्य रियायतों का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी को केवल आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचार किया जाएगा तथा यू.आर. रिक्तियों के तहत विचार के लिए पात्र नहीं होगा।" इसलिए रियायतों का लाभ उठाए विना, यू.आर.(अनारक्षित) उम्मीदवारों के समान मानकों के अनुसार चयनित आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को, यू.आर.(अनारक्षित) सीटों पर समायोजित किया जाएगा।
- iii. आयु में छूट का दावा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाण पत्रों का प्रारूप(प्रोफार्मा) डीआरडीओ की वेबसाइट <https://www.drdo.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है(जो लागू होगा)।

#### घ) निरहता

कोई भी व्यक्ति नियुक्ति का पात्र नहीं होगा -

- i. जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या संविदा की है, या
- ii. जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

#### इ) चिकित्सा उपयुक्ता (फिटनेस)

अभ्यर्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी शारीरिक विकृति से मुक्त होना चाहिए, जो कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में हस्तक्षेप कर सकती है। अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के अधीन किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है, तो उसे नियुक्ति की पेशकश नहीं की जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल फिटनेस मानक भारत सरकार के मौजूदा नियमानुसार लागू होंगे।

निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रत्नौंधी या रंग अंधापन, से पीड़ित अभ्यर्थियों को पद पर नियुक्ति के लिए, चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन या प्रस्तावित नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनका प्रदर्शन कैसा भी हो। ऐसे दृश्य दोषों के संबंध में नामित चिकित्सा बोर्ड/चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। दृश्य तीक्ष्णता के मानक इस प्रकार हैं-

दूरस्थ दृष्टि		निकट दृष्टि	
बेहतर आँख	बदतर आँख	बेहतर आँख	बदतर आँख
6/6	-		
या			
6/12	6/12		
या			
6/9	6/18		

यदि प्रथम नियुक्ति के समय अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है तो सही दृश्य तीक्ष्णता मानक एक स्तर कम कर दिया जाएगा जैसेकि नीचे दिया गया है -

दूरस्थ दृष्टि	
बेहतर आँख	बदतर आँख
6/9	-
6/18	6/18
6/12	6/24

## 2.4 आरक्षण/द्वृष्ट लाभ

एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/इडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम/एमएसपी के लिए निर्धारित रिक्तियों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आयु, योग्यता मानदंड आदि के संबंध में आरक्षण/द्वृष्ट का लाभ भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार होगा।

क) कृपया ध्यान दे कि आरक्षित श्रेणी में उम्मीदवारी तब तक अनंतिम(प्रोविजनल) रहेगी जब तक संबंधित दस्तावेजों की सत्यता, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/सुनिश्चित नहीं कर ली जाती।

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ड़ा वर्ग-एनसीएल/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग/एमएसपी/ईएसएम से संबंधित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र/अन्य प्रासंगिक प्रमाणपत्र की एक नवीनतम प्रति निर्धारित प्रारूप (प्रोफार्मा) में अपलोड करनी चाहिए, जिसे डीआरडीओ की वेबसाइट <https://www.drdo.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है (जो भाग 5.6 में वर्णित है)।

ग) ओबीसी अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप जैसे कि अनुलग्नक- **II** में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और अनुलग्नक- **III** में दिए गए प्रारूप में एक स्व-घोषणा भी देनी होगी, जिसमें कहा गया है कि वे "क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं", अन्यथा आरक्षण के लिए उनका दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके बजाय, उन्हें केवल यू.आर(अनारक्षित) अभ्यर्थियों के रूप में माना जा सकता है यदि वे यू.आर(अनारक्षित) की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। जाति/श्रेणी को अन्य पिछ़ड़ी जाति की केंद्रीय सूची में शामिल होना चाहिए। ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र, सेप्टेम-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्णायक तिथि पर वैध होना चाहिए।

घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, आय और संपत्ति प्रमाणपत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो तथा CEPTAM-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्णायक तिथि पर मान्य होना चाहिए (अनुलग्नक- **IV** में दिए गए प्रारूप के अनुसार।

### 2.4.1 पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी

40% या उससे अधिक शारीरिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को ही बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति(पीडब्ल्यूबीडी) के रूप में माना जाएगा और वे ही पीडब्ल्यूबीडी के नियम के अंतर्गत देय आरक्षण और द्वृष्ट के हकदार होंगे। जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, उसे अनुलग्नक- **V** से **VI** में दिए गए प्रारूप(प्रोफार्मा) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र ((G.S.R.649(E);विकलांग व्यक्तियों के अधिकार(संशोधन) नियम, दिनांक 16/10/2024) अपलोड करना होगा।

क) स्क्राईब के संबंध में प्रावधान

- निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति के मामले में अर्थात अंथ्रापन, लोकोमोटर विकलांगता(दोनों हाथ प्रभावित) और सेरेब्रल पाल्सी को छोड़कर, स्क्राईब/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि, संबंधित व्यक्ति को निर्दिष्ट विकलांगता के कारण लिखने में कार्यात्मक सीमा है और इसलिए, अभ्यर्थी की ओर से परीक्षा लिखने के लिए एक स्क्राईब आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र अनुलग्नक-**VIII** के अनुसार प्रमाणपत्र, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उचित चिकित्सा जांच के बाद जारी किया जाना चाहिए। चिकित्सा प्राधिकारी के गठन के लिए एफ.सं.पी- **P-13013/75/2023-Policy-DD-III** दिनांक 01.08.25 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए प्रतिस्पर्धी लिखित सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी देखें।
- अंथ्रापन, लोकोमोटर विकलांगता(दोनों हाथ केवल) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में विकलांग अभ्यर्थी के मामले में, स्क्राईब /पाठक/प्रयोगशाला सहायक की अनुमति, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो, वैध विकलांगता प्रमाणपत्र / यूडीआईडी कार्ड(अनुलग्नक – **VII**) प्रस्तुत करने पर दी जाएगी तथा चिकित्सा प्रमाण(अनुलग्नक-**VIII**) पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ख) स्क्राईब की सुविधा के लिए, निम्नलिखित नियम लागू होंगे

- स्क्राईब की व्यवस्था अभ्यर्थी द्वारा अपनी लागत पर करनी होगी, जिसका विवरण ऑनलाइन आवेदन के समय देना होगा। स्क्राईब का विवरण प्रदान करने पर, यह सलाह दी जाती है कि स्क्राईब को न बदलें। हालांकि, अत्यावश्यकता के मामले में, प्रवेश पत्र जारी करने से पहले डीआरडीओ की वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग करते हुए सेप्टेम को नए स्क्राईब का विवरण प्रदान कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पहचाने गए किसी स्क्राईब द्वारा पात्रता पूरी न करने पर, उस पर सेप्टेम आपत्ति करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी पहले से सूचित किए गए व्यक्ति या अल्प-सूचना(ऊपर उल्लिखित) के अलावा कोई अन्य स्क्राईब लाता है तो

अभ्यर्थी द्वारा लाए गए स्क्राईब को आवश्यक दस्तावेजों/उपक्रमों(जैसाकि अनुलग्नक- **VIII** तथा **IX**) को प्रस्तुत किए जाने और स्क्राईब की आवश्यक योग्यता को पूरा करने के लिए पाया जाने पर ही स्वीकार किया जाएगा।

iii. स्क्राईब की योग्यता उस परीक्षा में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता से कम से कम “दो शैक्षणिक वर्ष नीचे” और अधिकतम ”तीन शैक्षणिक वर्ष नीचे” होनी चाहिए।

iv. स्क्राईब द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें निम्नवत हैं:-

- जिस परीक्षा में अभ्यर्थी भाग ले रहा है, उस परीक्षा के लिए स्क्राईब अभ्यर्थी नहीं होगा।
- एक अभ्यर्थी के लिए स्क्राईब, उसी परीक्षा के लिए किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राईब के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- ऑनलाइन आवेदन के समय या परीक्षा के समय या किसी भी स्तर पर प्रस्तुत घोषणा पत्र में अभ्यर्थी/स्क्राईब के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी, अभ्यर्थी को स्थायी रूप से या सभी डीआरडीओ परीक्षाओं से निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित कर देगी। परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राईब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है या किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक स्क्राईब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी, यदि परीक्षण प्रशासक/अन्वेषक द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्क्राईब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया या किसी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर दिया, तो ऐसे मामलों में, अभ्यर्थी और स्क्राईब को या तो स्थायी रूप से या सभी डीआरडीओं की परीक्षाओं से निर्दिष्ट अवधि के लिए भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

#### ग) प्रतिपूरक समय

- i. निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के मूल्यांकन के अनुसार, लेखन में कार्यात्मक सीमाओं वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए 20 मिनट/घंटे की दर से "प्रतिपूरक समय" की अनुमति दी जाएगी।
- ii. केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्रतिपूरक समय(ऑनलाइन पंजीकरण के समय) में रियायतों की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित है, इसलिए यदि अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत नहीं है तो सेप्टेम के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी।

#### 2.4.2 भूतपूर्व सैनिक(ईएसएम)

भूतपूर्व सैनिकों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी आवश्यक समतुल्यता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा, जब भी उनके द्वारा अर्जित योग्यता विज्ञापित और आवेदित पदों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से भिन्न हो।

- i. भूतपूर्व सैनिकों को अनुलग्नक-**X(B)** के अनुसार, दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्वहन प्रमाणपत्र जिसमें पूर्व-सेवा स्थिति का विधिवत उल्लेख हो, की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- ii. भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी'/'डी' पदों पर नियमित आधार पर, सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक पुनर्रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद, ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं।
- iii. यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। हालांकि, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, एक पूर्व सैनिक को, जैसे ही वह सिविल रोजगार में शामिल होता है, उसे CEPTAM-11 विज्ञापन के संदर्भ में, अपने आवेदन के तिथि-वार विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ इस घोषणा की पावती प्रति तथा अनुलग्नक-**X(A) व (B)**, के अनुसार स्व-घोषणा/वचन दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

#### 2.4.3 मेधावी खिलाड़ी(एमएसपी):

कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय के ज्ञापन संख्या 14034/01/2013- Estt.(Estt.) दिनांक 26.07.2017 के पैरा 2 के संशोधित ज्ञापन संख्या 1720781414772--Estt.(Estt.D) दिनांक 04 मार्च 2024 के अनुसार, इन आदेशों के तहत खिलाड़ियों की नियुक्ति (भारत सरकार के नियम के अनुसार समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' के लिए) निम्नलिखित मानदंडों के संदर्भ में मेधावी मानी जा सकती है:

क) ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल/स्पोर्ट्स में निर्दिष्ट खेल सूची(अनुलग्नक-XII) अनुसार, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है; या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता हैं; या खेलों इंडिया युवा खेलों में पदक विजेता(18 वर्ष से

अधिक आयु श्रेणी); या खेलो इंडिया शीतकालीन खेल; या खेलो इंडिया पैरा गेम्स; या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक विजेता; या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया(एसजीएफआई) में पदक विजेता।

**शतरंज के लिए:** ग्रैंड मास्टर (जीएम) शीर्षक, इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) शीर्षक, शतरंज ओलंपियाड। आईएम/जीएम टाइटल ओपन श्रेणी में होना चाहिए जैसे महिला ग्रैंडमास्टर(डब्ल्यूजीएम) आदि। जबकि राष्ट्रीय मुक्त शतरंज चैंपियनशिप को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय टीम शतरंज चैंपियनशिप में पदक जीतने के प्रदर्शन पर भी भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

ख) वे खिलाड़ी जिन्होंने समय-समय पर संशोधित सूची (अनुलग्नक-XII) में निर्दिष्ट किसी भी स्पोर्ट्स/गेम्स में अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्डों द्वारा आयोजित अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है।

ग) वे खिलाड़ी जिन्होंने सूची में उल्लिखित किसी भी खेल में अखिल भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्पोर्ट्स/गेम्स में राज्य स्कूल की टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

एमएसपी आरक्षण का लाभ उठाने के इच्छुक अभ्यर्थी को यथा लागू अनुलग्नक-XIII(A से E) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

### भाग-3: आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें

#### 3.1 आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका

##### 3.1.1 आवेदन शुल्क का भुगतान

अभ्यर्थियों को नीचे दी गई श्रेणियों के अनुसार, निर्धारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है:

क्र.सं.	पद	आवेदक श्रेणियां	आवेदन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) (ए)	*वापसी योग्य शुल्क (बी)	आवेदन के साथ कुल शुल्क का भुगतान (ए + बी)
1.	एसटीए-बी	सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / एमएसपी	250/-	500/-	750/-
		महिलाएं/अजा/अजजा/दिव्यांग/#भूतपूर्व सैनिक	शून्य	500/-	500/-
2.	टेक-ए	सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / एमएसपी	100/-	500/-	600/-
		महिलाएं/अजा/अजजा/दिव्यांग/#भूतपूर्व सैनिक	शून्य	500/-	500/-

**नोट:** #भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी'/'डी' पदों पर नियमित आधार पर, सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक पुनर्रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद, ईएसएम श्रेणी में आवेदन शुल्क माफी के लिए पात्र नहीं हैं। वह भूतपूर्व सैनिक जो आवेदन शुल्क माफी के लिए पात्र नहीं हैं, उनको अपनी संबंधित श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

**\*वापसी योग्य शुल्क:** केवल टियर-I परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को 500/- रुपये की राशि वापस की जाएगी।

##### 3.1.2 भुगतान का तरीका

शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। सभी लागू सेवा शुल्क जैसे की बैंक शुल्क आदि केवल आवेदकों द्वारा वहन किया जाएगा।

##### नोट

- आवेदन शुल्क(गैर-वापसी योग्य राशि) और अन्य शुल्क (जहाँ लागू है), एक बार भुगतान करने के बाद, किसी भी मामले/परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी टियर-I परीक्षा में बैठने में विफल रहता है तो शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपने बैंक की डिटेल्स भरना आवश्यक है जिसमें धन वापसी चाहते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा बैंक की डिटेल्स गलत भरने पर वापसी योग्य आवेदन शुल्क के लिए ऑनलाइन रिफंड में आने वाली किसी भी दिक्षित के लिए सेप्टेम जिम्मेदार नहीं होगा। गलत/अपूर्ण लाभार्थी विवरण और त्रुटिपूर्ण /अपूर्ण/अस्वीकृत आवेदनों के लिए शुल्क की वापसी नहीं होगी।

### 3.1.3 आवेदन में सुधार:

- आँनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन विवरण को बदलना या सही करना चाहता है, तो वह केवल एक बार लॉगिन करके ऐसा कर सकता है। आँनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा के बाद, आवेदन में सुधार के लिए विंडो खोली जाएगी।
- सुधार विंडो **04.01.2026 - 06.01.2026, 23:55 Hours** तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, सेप्टेम आवेदन में दी गई जानकारी में सुधार के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा सुधार शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

## 3.2 परीक्षा शहर

### 3.2.1 टियर-I (सीबीटी)

टियर-I परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित सूची में से किसी भी पांच अलग-अलग शहरों का चयन करना आवश्यक है। हालांकि टियर-I परीक्षा के लिए प्राथमिकता के क्रम में एक राज्य से अधिकतम तीन शहर चुने जा सकते हैं। परीक्षा शहर/केंद्र/शिफ्ट के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को आँनलाइन आवेदन भरने के दौरान शहर का सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण, सेप्टेम के पास किसी भी परीक्षा शहर को जोड़ने/हटाने और अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा शहर के अलावा किसी अन्य परीक्षा शहर को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्र.सं.	शहर का नाम	क्र.सं.	शहर का नाम	क्र.सं.	शहर का नाम
01	आगरा	27	हमीरपुर	53	नागपुर
02	अहमदाबाद	28	हजारीबाग	54	नहरलगुन
03	अजमेर	29	हुबली(हुबली)	55	नांदेड़
04	अंबाला	30	हैदराबाद	56	नई दिल्ली/एनसीआर
05	अमरावती	31	इम्फाल	57	पणजी
06	अमृतसर	32	इंदौर	58	पटियाला
07	आरा	33	जबलपुर	59	पटना
08	आसनसोल	34	जयपुर	60	पोर्ट ब्लेयर
09	बालेश्वर	35	जम्मू	61	प्रयागराज
10	बरेली	36	जमशेदपुर	62	पुणे
11	बठिडा	37	झांसी	63	पूर्णिया
12	बैंगलुरु	38	जोधपुर	64	रायपुर
13	भागलपुर	39	कानपुर	65	रांची
14	भोपाल	40	कोल्हापुर	66	राउरकेला
15	भुवनेश्वर	41	कोलकाता	67	सीकर
16	बिलासपुर(छत्तीसगढ़)	42	कोल्लम	68	सिलीगुड़ी
17	चेन्नई	43	कोकिलिपुर	69	सूरत
18	छत्रपति संभाजी नगर	44	लेह	70	तेजपुर
19	कोयंबटूर	45	लखनऊ	71	तिरुपति
20	दरभंगा	46	मदुरै	72	उदयपुर
21	धनबाद	47	मंगलुरु (मंगलोर)	73	उज्जैन
22	डिल्ली	48	मेरठ	74	वाराणसी
23	एनाकुलम	49	मुरादाबाद	75	विजयवाड़ा
24	गुवाहाटी	50	मुंबई एमएमआर	76	विशाखापट्टनम
25	ग्वालियर	51	मुजफ्फरपुर	77	वारंगल
26	हल्द्वानी	52	मैसूर		

### 3.2.2 टियर-II(एसटीए-बी और टेक-ए) और ट्रेड टेस्ट(टेक-ए) के लिए परीक्षा शहर:

टियर-II और ट्रेड टेस्ट के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शहर का विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है एवं इन परीक्षओं के लिए शहरों का निर्धारण सेप्टेम द्वारा परिचालन आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

### 3.3 आवेदन कैसे करें

#### ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य निर्देश

- क) अभ्यर्थियों के पास एक कार्यशील मोबाइल नंबर और एक वैध व सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए। सेप्टेम किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें। अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि समापन घंटों/दिनों के दौरान, वेबसाइट पर भारी भीड़/लोड के कारण नेटवर्क की समस्या या वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- ग) यदि अभ्यर्थी उपरोक्त कारणों से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो सेप्टेम जिम्मेदार नहीं होगा।
- घ) अभ्यर्थियों को अंतिम सबमिशन से पहले अपने आवेदन की समीक्षा करनी चाहिए।
- ड) अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है।
- च) ऑनलाइन आवेदन पत्र और अपलोड किए गए दस्तावेजों में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता पर विचार किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें।
- छ) सभी अभ्यर्थियों को डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो "**Offerings**" मेनू में "**Vacancies**" विकल्प में उपलब्ध है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाने के लिए, हाइपरलिंक "एसटीए'बी'टेक 'ए'" पर क्लिक करना होगा।
- ज) कृपया निर्देश को ध्यान से पढ़ें और "**Click here**" हाइपरलिंक पर क्लिक करें जो ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए "**To Register**" के बगल में बुलेट पॉइंट है।
- झ) विस्तृत अधिसूचना/विज्ञापन के लिए, कृपया "**To read Advertisement**" के सामने "**Click here**" हाइपरलिंक बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, कृपया विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें।
- ज) अभ्यर्थी को ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित विवरण/दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:
- मान्य ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर
  - अभ्यर्थी की नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ(.jpg / .jpeg प्रारूप),
  - अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति(.jpg/.jpeg प्रारूप),
  - अनिवार्य अहर्ता प्रमाणपत्र  
सभी आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्रों(जो लागू हो), जिसकी पात्रता सेप्टेम-11 विज्ञापन की निर्णयक तिथि के अनुसार हो, की स्कैन की गई मूलप्रतियों(मूलरूप के रंग में) को अपलोड करना होगा।
  - दसरी कक्षा प्रमाणपत्र  
आयु प्रमाण के लिए अपलोड किया जाना है।
  - आरक्षण/छूट के समर्थन में प्रमाणपत्र अर्थात् एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/एमएसपी/ईएसएम(जोलागू हो) प्रमाणपत्र अपलोड करें।
  - सक्रिय बैंक खाते का विवरण जैसे कि खाता धारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम और उसका IFSC कोड, वापसी योग्य आवेदन शुल्क के ऑनलाइन रिफंड के लिए रखना होगा।

### 3.4 कई पदों के लिए आवेदन

एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए अलग से सभी प्रकार से पूर्ण अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन किया है, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक परीक्षा के लिए केंद्र अलग हो सकता है, और परीक्षा एक ही दिन/शिफ्ट पर हो सकती है। यदि परीक्षा एक ही दिन में दो अलग-अलग पालियों में होती है, तो अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवंटित

केंद्र तक समय पर पहुंचे। यदि अभ्यर्थी द्वारा दो पोस्ट कोड के लिए परीक्षा एक ही पाली में है, तो वह अपनी पसंद के अनुसार केवल एक पोस्ट कोड की परीक्षा में बैठने में सक्षम होगा।

### 3.5 परीक्षा और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तारीख

परीक्षा की तारीख डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा शहर के बारे में जानकारी वेबसाइट पर परीक्षा की तारीख से लगभग दस दिन पहले प्रदान की जाएगी। प्रवेश पत्र डीआरडीओ की वेबसाइट से संबंधित परीक्षा से 2-3 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी को डीआरडीओ की वेबसाइट पर परीक्षा शहर/प्रवेश पत्र के संबंध में उसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो उसे इस विज्ञापन के अंतिम भाग में दिए गए हेल्प डेस्क पर, अपना आवेदन पत्र प्रमाण के विवरण के साथ तुरंत संपर्क करना होगा। ऐसा न करने पर वह अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के किसी भी दावे से वंचित हो जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र(अधिमानतः रंगीन) प्रिंट करना होगा और परीक्षा में बैठने के लिए इसे साथ लाना होगा। प्रवेश पत्र के अलावा, आवेदन पत्र में उल्लिखित एक वैध मूल फोटो आईडी और कम से कम दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ लाना अनिवार्य है। यदि फोटो आईडी में, जन्म तिथि का उल्लेख नहीं है, तो जन्म तिथि के प्रमाण के लिए अभ्यर्थी के पास एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज होना चाहिए(जैसे कि मैट्रिक प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों आदि द्वारा जारी मार्कशीट)। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदनपत्र में उल्लिखित उनकी जन्मतिथि, वैध आईडी प्रूफ के साथ मेल खाती हो, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित टेस्ट(सीबीटी) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेप्टेम के पास परिचालन संबंधी वाधाओं के कारण किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को अन्य केंद्र में स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित है। सेप्टेम परीक्षा शहर, केंद्र, तारीख और अभ्यर्थी को आवंटित शिफ्ट में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से सेप्टेम द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

#### भाग-4: परीक्षा पद्धति, चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन

##### 4.1 परीक्षा पद्धति

- क) परीक्षाओं का पाठ्यक्रम, पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा और डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर प्रकाशित किया जाएगा।
- ख) परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।
- ग) परीक्षा(टियर-I और टियर-II) सीबीटी(कंप्यूटर आधारित परीक्षण) मोड में आयोजित की जाएगी।

**तालिका-1** (एसटीए-बी के पद के लिए परीक्षा पद्धति)

टियर	मोड/परीक्षा का प्रकार	परीक्षा का दायरा	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की अवधि (मिनट)
I	स्क्रीनिंग के लिए सीबीटी	सभी पोस्ट-कोड के लिए एक सामान परीक्षण: सामान्य विज्ञान(40 प्रश्न), सामान्य अंग्रेजी (30 प्रश्न), मात्रात्मक योग्यता / सामान्य गणित(40 प्रश्न), सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क (40 प्रश्न)	150	150	120
II	अनंतिम(प्रोविजनल) चयन के लिए सीबीटी	भाग I: *व्यक्तित्व परीक्षण	परीक्षण 20 मिनट का होगा		
		भाग II: पोस्ट-कोड विषय के लिए विशिष्ट परीक्षण	120	120	120

\*व्यक्तित्व परीक्षण को, अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। टियर-II परीक्षा की मेरिट सूची केवल टियर-II परीक्षा के भाग-II(विषय-विशिष्ट) में अभ्यर्थी के प्रदर्शन(परफॉर्मेंस) के आधार पर तैयार की जाएगी।

तालिका-2 (तकनीशियन-ए के लिए परीक्षा पद्धति)					
टियर	मोड़/परीक्षा का प्रकार	परीक्षा का दायरा	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की अवधि(मिनट)
I	स्क्रीनिंग के लिए सीबीटी	सभी पोस्ट-कोड के लिए एक सामान परीक्षण: सामान्य विज्ञान (40 प्रश्न), सामान्य अंग्रेजी (30 प्रश्न), मात्रात्मक योग्यता / सामान्य गणित (40 प्रश्न), सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क (40 प्रश्न)	150	150	120
II	अनंतिम(प्रोविजनल) शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सीबीटी जिसके आधार पर ट्रेड परीक्षण	भाग -I: *व्यक्तित्व परीक्षण	परीक्षण 20 मिनट का होगा		
		भाग-II : पोस्ट-कोड विषय के लिए विशिष्ट परीक्षण	120	120	90
	ट्रेड परीक्षण (आहर्ताकारी)	ट्रेड परीक्षण (डीजीटी के द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार आईटीआई स्तर का होगा) विशिष्ट संवंधित ट्रेडों के पदानुसार, अभ्यर्थियों के व्यावहारिक कौशल का परीक्षण	ट्रेड परीक्षण की अवधि ट्रेड के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसका उल्लेख अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र में किया जाएगा।		

\*व्यक्तित्व परीक्षण को, अभ्यर्थी के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। टियर-II परीक्षा के लिए मेरिट सूची केवल टियर-II परीक्षा के भाग-II (विषय-विशिष्ट) में अभ्यर्थी के प्रदर्शन(परफॉर्मेंस) के आधार पर तैयार की जाएगी।

- घ) प्रश्न पत्र के सभी खंड(टियर-I और टियर-II सीबीटी दोनों के लिए) समयबद्ध होंगे। प्रश्न पत्र को एक निर्दिष्ट समय सीमा के साथ कई खंडों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक खंड के लिए आवंटित समय की समाप्ति पर, यह बंद हो जाएगा, स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा और अगला खंड दिखाई देगा। अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट समय बीत जाने के बाद किसी भी खंड में उत्तर को फिर से देखने या संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी उत्तरों को पूरा करना चाहिए।
- इ) टियर-I और टियर-II(भाग II) सीबीटी परीक्षा के लिए, प्रत्येक प्रश्न समान रूप से 01 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों का नकारात्मक अंकन होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखें।
- च) टियर-I परीक्षा और टियर-II(भाग II: विषय-विशिष्ट) परीक्षा के लिए, योग्यता अंक यूआर/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 40% और एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीटी अभ्यर्थियों के लिए 35% हैं।
- छ) भारत सरकार के अदेशों के अनुसार रियायतों का लाभ उठाए बिना, अनारक्षित(यू.आर) अभ्यर्थियों के समान मानकों के अनुसार चयनित एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, एमएसपी और पीडब्ल्यूबीटी अभ्यर्थी (जो लागू हो), के अभ्यर्थियों को, अनारक्षित(यू.आर) सीटों पर समायोजित किया जाएगा।
- ज) आरक्षित रिक्तियों को भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार पात्र अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईएसएम, एमएसपी और पीडब्ल्यूबीटी अभ्यर्थियों(जो लागू हो) के बीच अलग से भरा जाएगा।
- झ) अधिक जानकारी के लिए, डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अनुभाग को देखें।

#### 4.2 एसटीए-बी के पद हेतु चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में टियर-I और टियर-II परीक्षा शामिल होगी, जो ऊपर तालिका-1 में वर्णित है:

- टियर-I और टियर-II(भाग II) के स्कोर को आवश्यकतानुसार सामान्यीकृत(नार्मलाइज्ड) किया जा सकता है।
- टियर-I और टियर-II परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे।
- टियर-I परीक्षा स्क्रीनिंग के लिए है और टियर-II परीक्षा अनंतिम(प्रोविजनल) चयन के लिए है।
- संगठनात्मक आवश्यकता/भारत सरकार की नीति के आधार पर एसटीए-बी पद के लिए चयन का तरीका बदल सकता है।

#### स्क्रीनिंग मानदंड:

- i. टियर-I और टियर-II(भाग II) के लिए न्यूनतम योग्यता अंक अनारक्षित(यू.आर)/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 40% और एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 35% है।
- ii. टियर-I परीक्षा मेरिट के आधार पर, अभ्यर्थियों को टियर-II परीक्षा के लिए 1:10 (रिक्तियों की सं.: शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सं.) के अनुपात में अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बशर्ते वे परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित करें। कट-ऑफ अंकों के बाबाबर अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों की स्थिति में, उन सभी को अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से टियर- II के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
- iii. हालांकि, संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर यह अनुपात बढ़ या घट सकता है।

#### भर्ती के लिए अनंतिम(प्रोविजनल) चयन मानदंड:

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर टियर-II परिणाम की घोषणा से पहले पात्रता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक दस्तावेज जांच की जाएगी। प्रारंभिक दस्तावेज की जांच टियर-II योग्यता के अनुसार की जाएगी, जब तक कि नामांकन के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों। टियर-II मेरिट सूची के आधार पर, प्रारंभिक दस्तावेज की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का चयन अनंतिम रूप से अभ्यर्थी के पद/श्रेणी/उप-श्रेणी और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया में टियर-I और टियर-II परीक्षा और ट्रेड परीक्षण शामिल होंगे जोकि ऊपर तालिका-2 में वर्णित है:

- i. अभ्यर्थियों के व्यावहारिक कौशल का परीक्षण करने के लिए, टियर-II के बाद ट्रेड परीक्षण किया जाएगा जोकि संबंधित ट्रेड में आईटीआई के स्तर का होगा। ट्रेड परीक्षण की अवधि ट्रेड के आधार पर भिन्न हो सकती है।
- ii. ट्रेड परीक्षण आहर्ताकारी प्रकृति का है। टियर-I और टियर-II के लिए न्यूनतम योग्यता अंक, अनारक्षित(यू.आर)/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 50% और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 45% है।
- iii. टियर-I और टियर-II (भाग II) के स्कोर को आवश्यकतानुसार सामान्यीकृत(नार्मलाइज्ड) किया जा सकता है।
- iv. टियर-I और टियर-II परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे।
- v. टियर-I(योग्यता परीक्षण) स्क्रीनिंग के लिए है और टियर-II(भाग II:विषय विशिष्ट) अनंतिम(प्रोविजनल) चयन के लिए है, बेशर्ते अभ्यर्थी, सफलतापूर्वक अनिवार्य ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुका हो।
- vi. संगठनात्मक आवश्यकता/ भारत सरकार की नीति के आधार पर तकनीशियन-ए पद के लिए चयन का तरीका बदल सकता है।

### 4.3 तकनीशियन-ए के पद हेतु चयन प्रक्रिया

#### स्क्रीनिंग मानदंड:

- i. टियर-I स्क्रीनिंग के लिए है तथा टियर-II(भाग II), ट्रेड परीक्षण के अनंतिम(प्रोविजनल) शॉर्ट लिस्टिंग और अनंतिम(प्रोविजनल) चयन के मेरिट तैयार करने के लिए है। टियर-I और टियर-II के लिए न्यूनतम योग्यता अंक अनारक्षित(यू.आर)/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 40% और एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 35% है।
- ii. टियर-I परीक्षा योग्यता के आधार पर, अभ्यर्थियों को टियर-II परीक्षा के लिए 1:15(रिक्तियों की सं.:शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सं) के अनुपात में अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बशर्ते, वे टियर-I परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित करें।
- iii. टियर-II परीक्षा योग्यता के आधार पर, अभ्यर्थियों को 1:8( रिक्तियों की सं.:शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सं ) के अनुपात में ट्रेड परीक्षण के लिए अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बशर्ते, वे टियर-II परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित करें।
- iv. हालांकि, ऊपर उल्लिखित अनुपात संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ या घट सकते हैं।

- v. कट-ऑफ अंकों के बराबर अंक प्राप्त करने वाले कई अभ्यर्थियों की स्थिति में, उन सभी को अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से टियर- II और ट्रेड टेस्ट के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
- vi. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टियर-II परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर ट्रेड टेस्ट की अनुसूची उपलब्ध होगी।
- डीआरडीओ प्रशिक्षकों के लिए ट्रेड परीक्षण में छूट; जिन अभ्यर्थी ने पिछले 2 वर्षों के भीतर (सेप्टेम-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्णयक तिथि से) डीआरडीओ में सफलतापूर्वक अप्रेंटिसशिप पूरा कर ली हो, उन्हें ट्रेड परीक्षण में उपस्थित होने से छूट दी गई है।
- भर्ती के लिए अनंतिम(प्रोविजनल) चयन मानदंड:**
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर टियर-II परिणाम की घोषणा से पहले पात्रता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक दस्तावेज जांच की जाएगी। प्रारंभिक दस्तावेज की जांच टियर-II की योग्यता के अनुसार की जाएगी, जब तक कि ट्रेड टेस्ट के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों। टियर-II मेरिट सूची के अनुसार, प्रारंभिक दस्तावेज की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थी और जो ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें अभ्यर्थी के पद/श्रेणी/उप-श्रेणी और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार अनंतिम रूप से चुना जाएगा।

#### 4.4 अनंतिम(प्रोविजनल) चयन के लिए टाई मामलों का समाधान

ऐसे मामलों में जहाँ, एक से अधिक अभ्यर्थी टियर-II का भाग-II परीक्षा में समान स्कोर हासिल करते हैं, ऐसे टाई के मामलों को निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा, जोकि क्रमानुसार, टाई मामले को हल करने तक लागू होगा।

एसटीए-बी के लिए:

- टियर-I परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत(नार्मलाइज्ड) अंक।
- जन्म तिथि, आयु में बड़े अभ्यर्थी को योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- वर्णमालाक्रम(इंग्लिश में) में जिसमें अभ्यर्थी के पहले नाम को मेरिट सूची में देखा जाता है।

तकनीशियन-ए के लिए:

- डीआरडीओ द्वारा प्रशिक्षित अप्रेंटिस।
- टियर-I परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत(नार्मलाइज्ड) अंक।
- जन्म तिथि, आयु में बड़े अभ्यर्थी को योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- वर्णमाला क्रम(इंग्लिश में) जिसमें अभ्यर्थी के पहले नाम को मेरिट सूची में देखा जाता है।

#### 4.5 उत्तर कुंजी

कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजियाँ डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर क्रमशः टियर-I और टियर-II परीक्षणों के बाद प्रकाशित की जाएंगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर ऑनलाइन अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम जैसे पत्र, आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में डीआरडीओ का निर्णय अंतिम होगा।

#### 4.6 प्रारंभिक दस्तावेज परीक्षण

क) अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता की विस्तृत परीक्षण के बिना टियर-I और टियर-II परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करें। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर टियर-II परिणाम (एसटीए-बी

और तकनीशियन-ए दोनों पदों के लिए) की घोषणा से पहले, प्रारंभिक दस्तावेज़ की जांच की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है (जो लागू हो)।

- ख) अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार, पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को टियर-II की मेरिट के लिए विचार किया जाएगा।
- ग) कृपया ध्यान दे कि प्रारंभिक दस्तावेजों की जांच सेप्टेम द्वारा योग्यता के अनुसार तब तक की जाएगी जब तक कि नामांकन के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार प्राप्त न हों। यह दोहराया जाता है कि सभी उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों की जांच नहीं की जाएगी।
- घ) यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सेप्टेम आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच कर सकता है।
- ड) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डीआरडीओ की वेबसाइट पर प्रारंभिक दस्तावेज जांच के परिणाम से संबंधित, उपलब्ध निर्देशों/घोषणाओं का पालन करें और यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज अपलोड करें।

#### 4.7 प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं/इकाईयों में तैनाती के लिए नामांकन

टियर-I, टियर-II और ट्रेड टेस्ट परीक्षा का परिणाम डीआरडीओ की वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) पर प्रकाशित किया जाएगा।

विभिन्न डीआरडीओ प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं/इकाईयों द्वारा विज्ञापित पोस्ट कोड के अंतर्गत अनुमानित रिक्तियों के आधार पर संबंधित डीआरडीओ प्रयोगशाला/स्थापना/इकाई में अनन्तिम(प्रोविजनल) रूप से चयनित अभ्यर्थी का नामांकन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का नामांकन उनकी योग्यता और आवेदन पत्र में भरे गए तैनाती केन्द्रों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, डीआरडीओ के पास संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर अभ्यर्थियों को नामित करने का अधिकार सुरक्षित है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पूर्ववृत्त व चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर, संबंधित प्रयोगशाला/स्थापना/इकाई द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा।

#### 4.8 दस्तावेज सत्यापन

नामित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन, संबंधित डीआरडीओ प्रयोगशाला/स्थापना/इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, अभ्यर्थियों को नीचे बताए गए सभी मूल दस्तावेजों(जो लागू हो) जैसा कि भाग 5.6 में उल्लिखित है, और उनकी दो स्व-सत्यापित फोटोकॉपिया प्रस्तुत करनी होंगी, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- क) मैट्रिक / हाईस्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में समकक्ष प्रमाणपत्र(आवेदन पत्र में उल्लिखित,अभ्यर्थी का नाम और पिता / माता का नाम भी, इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित नामों के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा)।
- ख) सेप्टेम-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्णयिक तिथि को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने के प्रमाण के रूप में शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र(जो लागू हो) प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र नामित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए, अभ्यर्थी से संबंधित विशेष समुदाय को, संबंधित राज्य के लिए, राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल होना चाहिए(अनुलग्नक I में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।
- घ) ओबीसी अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (अनुलग्नक II) के साथ जारी किया जाना चाहिए और जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति की केंद्रीय सूची में शामिल होना चाहिए। ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र निर्धारित करने की तिथि, सेप्टेम-11 विज्ञापन की निर्णयिक तिथि होगी।
- ड) आवश्यक प्रारूप में बैंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो(भाग 2.4.1 देखें)।
- च) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान (अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार) मूल वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रमाण पत्र सेप्टेम-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्णयिक तिथि पर मान्य होना चाहिए।
- छ) प्रासंगिक प्रमाणपत्र यदि कोई आयु छूट / आरक्षण की मांग कर रहा है अर्थात् ईएसएम और एमएसपी यदि लागू हो(भाग 2.4.2 व भाग 2.4.3 देखिए)।
- ज) सरकारी, पीएसयू, स्वायत्त संगठनों में सेवारत और विभागीय अभ्यर्थी अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उचित चैनल के माध्यम से एनओसी प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान नियोक्ता से अनुबंध- XI के अनुसार एनओसी प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

**नोट:** अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके नियोक्ता से डीआरडीओ को कोई संचार प्राप्त होता है कि परीक्षा में आवेदन करने/बैठने/दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल होने या नियुक्ति के समय अनुमति रोक दी जाए, तो उनके आवेदन/उम्मीदवारी को अस्वीकार/रद्द किया जा सकता है।

झ) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के लिए आवेदन करने के बाद रोजगार प्राप्त करते हैं, उनको कार्यभार ग्रहण करते ही संबंधित नियोक्ता को इस विज्ञापन के तहत आवेदन के विवरण के बारे में स्व-घोषणा देनी चाहिए। नियोक्ता से एनओसी के साथ इस घोषणा की पावती प्रति दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए (भाग 2.4.2 देखें)।

ज) एक अभ्यर्थी जो मैट्रिक, विवाह या पुनर्विवाह या तलाक के बाद नाम में परिवर्तन आदि पर दावा करता है, वह निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा:

- i. महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की सत्यापित फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी के नाम या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति या पति और पत्नी से आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र के साथ एक संयुक्त तस्वीर के साथ एक हलफनामा है।
- ii. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, पहले पति या पत्नी के संबंध में; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की सत्यापित फोटोकॉपी, जिसमें पति या पत्नी के नाम या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति या पति और पत्नी से आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र के साथ एक संयुक्त तस्वीर के साथ एक हलफनामा।
- iii. महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/डीड पोल और इन्हीं मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्र की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

ट) नामांकन पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

## नोट

- i. अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- ii. ओबीसी-एनसीएल/इडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थियों को श्रेणी प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जानी चाहिए (भाग 5.6 देखें) और इस सेप्टेम-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्धारित तिथि पर वैध होना चाहिए।
- iii. यह दोहराया जाता है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता /जाति/श्रेणी आदि के प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी दावे की पुष्टि दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों द्वारा नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

## भाग-5: अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

### 5.1 निर्देश

- क) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले, DRDO वैबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) तथा “How to Apply” सावधानीपूर्वक पढ़ ले।
- ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन संख्या को नोट करें।
- ग) अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें और उसे अपने पास रखें। आवेदन की कोई मुद्रित प्रति सेप्टेम को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- घ) प्रवेश पत्र, परीक्षा से संभवतः 2-3 दिन पहले डीआरडीओ की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए डाउनलोड और मुद्रित/प्रिंट करना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना होगा। सेप्टेम द्वारा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा।
- ङ) अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय, दस्तावेज़ सत्यापन और जब भी आवश्यक हो, हाल ही में अद्यतन पहचान प्रमाणपत्र (आईडी) (सरकार द्वारा जारी की गई फोटो युक्त आईडी कार्ड जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) मूल रूप में लाना होगा।

च) अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग - एनसीएल / अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / ईएसएम / एमएसपी / पीडब्ल्यूवीडी / केंद्र सरकार में तीन साल की निरंतर सेवा करने वाले विभागीय अभ्यर्थी /विधवा / तलाकशुदा महिलाएँ / न्यायिक रूप से अपने पति से अलग महिलाएँ जो पुनर्विवाहित नहीं हैं आदि के लिए लागू, आरक्षण का लाभ चाहते वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि उनके पास प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं तो वो इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं।

छ) अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में दो पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ, प्रवेश पत्र तथा संभवतः वही फोटो आईडी (जोकि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर लाना होगा। यदि फोटो आईडी में जन्म तिथि नहीं लिखी है, तो अभ्यर्थी को उनकी जन्म तिथि के प्रमाण हेतु एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसेकि मैट्रिक प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों आदि द्वारा जारी मार्कशीट) लाना होगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र में उल्लिखित उनकी जन्मतिथि वैध आईडी प्रूफ से मेल खाती हो, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ज) आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

झ) सीबीटी प्रक्रिया से परिचित होने के लिए, अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट को करने की सलाह दी जाती है जोकि परीक्षा से संभवतः 10 दिन पहले DRDO वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

ज) अभ्यर्थियों की परीक्षा केन्द्र पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी तथा हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (HHMD) द्वारा जांच की जाएगी।

ट) अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान किए गए संपर्क विवरण, जैसे ई-मेल और मोबाइल नंबर भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय होने चाहिए। पत्राचार तथा स्थायी पता सही और पूर्ण होना चाहिए।

ठ) **निषिद्ध वस्तुएँ:** इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैमरा, कैलकुलेटर, कोई अन्य संचार उपकरण, कलाई घड़ियाँ/फिटनेस बैंड, पेन/पेंसिल, डेविट / क्रेडिट कार्ड, गहने और आभूषण (रिंग / चेन / लॉकेट आदि), पानी की बोतल, वॉलेट/पर्स, बेल्ट, जूते, धातु के कपड़े आदि और किसी भी आग्रेय/हथियार को साथ रखने तथा आपत्तिजनक वस्तुओं को परीक्षा हाँल के अंदर लाने की अनुमति नहीं है।

ड) परीक्षा केन्द्रों पर वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था उपलब्ध नहीं भी हो सकती है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल फोन आदि सहित किसी भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु को न लाएं।

ढ) अभ्यर्थी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा प्रदान किए गए विवरण को सुधार विंडो की अंतिम तिथि के बाद अंतिम माना जाएगा।

ण) किसी गणमान्य व्यक्तियों/ सेलिन्ट्री के नाम व फोटो का दुरुपयोग करके नकली/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

त) परीक्षा/ट्रैड परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

थ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी जानकारी और अपडेट के लिए केवल डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.drdo.gov.in>) को देखें और फर्जी वेबसाइटों, समाचार, संदेशों और नौकरी भर्ती गिरोह से सतर्क रहें।

द) **महत्वपूर्ण:** सेप्टेम-11 विज्ञापन की पात्रता की निर्णायक तिथि को जाति/श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र में दर्शाएं गए समुदाय (उप-जाति)/श्रेणी से संबंधित हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान सक्षम प्राधिकारी से एक वैध प्रमाणपत्र अपलोड करके इस दावे की पुष्टि करनी चाहिए।

ध) डीआरडीओ को किसी भी स्तर पर विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया को वापस लेने या संशोधित करने का अधिकार है।

## नोट

- अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदित पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम(प्रोविजनल) होगी, बेशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो। यदि, सत्यापन के उपरांत, चयन प्रक्रिया के दौरान या बाद में किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रक्रिया के किसी भी चरण, अनंतिम(प्रोविजनल) शॉर्ट लिस्टिंग/चयन या परीक्षा में सफलता, नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है जब तक कि डीआरडीओ आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए सभी मामलों में उपयुक्त है।

- iii. आवेदन की पात्रता, स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन और अनंतिम(प्रोविजनल) रूप से चुने गए अभ्यर्थियों के किसी विशिष्ट प्रयोगशाला/शहर में नामांकन से संबंधित सभी मामलों में डीआरडीओ का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 5.2 अभ्यर्थियों की रैंकिंग और अंकों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 39020/1/2016-Estt. (B) दिनांक 21.06.2016, के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, परिणाम की घोषणा के बाद, डीआरडीओ वेबसाइट पर रैंकिंग के अवरोही क्रम में योग्य लेकिन नामांकित नहीं किए गए अभ्यर्थियों के स्कोर/रैंकिंग को प्रकाशित करेगा। तदनुसार, अभ्यर्थियों का निम्नलिखित विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा: (i) नाम (ii) पिता का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी और उपश्रेणी (v) लिंग (vi) शैक्षणिक योग्यता (vii) अहर्तापरीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) परीक्षा में रैंक (ix) पत्राचार पता (x) ई-मेल हालांकि, आवेदन पत्र भरते समय, अभ्यर्थी उपरोक्त विवरणों के सार्वजनिक प्रकटीकरण से बाहर निकले का विकल्प चुन सकता है।

## 5.3 कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पता चलने पर कि तथ्यों की गलत तरीके से प्रस्तुत करने, छिपाने या मिथ्याकरण करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है यदि वे निम्नलिखित में से किसी कार्य में लिप्त पाये जाते हैं तो भर्ती के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

- क) अनुचित साधनों या अपराधों की, किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 के अध्याय VI, VII, VIII के अनुसार निपटाया जाएगा।
- ख) परीक्षा केंद्र परिसर में भाग 5.1(ठ) में उल्लिखित किसी भी निषिद्ध वस्तुओं के साथ पाया जाना।
- ग) परीक्षा में कदाचार या अनुचित साधनों में शामिल होने या किसी भी योजना के साथ किसी भी रूप में शामिल होना/सेप्टेम-11 भर्ती के किसी भी प्रश्न पत्र का लीक करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करना।
- घ) जारी दस्तावेज या छेड़छाड़ किया गया दस्तावेज जमा करना।
- इ) असत्य अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने वाले बयान देना।
- च) प्रतिरूपण।
- छ) परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना।
- ज) परीक्षा हॉल में निरीक्षिकों, परीक्षा ड्यूटी अधिकारियों या डीआरडीओ प्रतिनिधियों के साथ किसी भी तरह से कदाचार/दुर्व्यवहार।
- झ) किसी भी रूप में दुष्प्रचार करना या परीक्षा में व्यवधान उत्पन करने के प्रयास करना।
- ज) परीक्षा हॉल में या ट्रेड परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन आदि के दौरान कोई भी आग्रेय अस्त्र/हथियार, आपत्तिजनक वस्तुओं को ले जाना।
- ट) रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप्प/लैन/वैन आदि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल साझा करना।
- ठ) परीक्षा के दौरान, पहले या बाद में या किसी भी समय परीक्षा सर्वर, डेटा और परीक्षा प्रणालियों को हैक या हेर-फेर करने का प्रयास करना।
- ड) परीक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।

**नोट:** दोषी अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली भर्तियों से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। आवेदक द्वारा चयन प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का कोई भी प्रयास, चाहे वह प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव या अन्य अनुचित साधनों के माध्यम से हो, अयोग्यता का कारण बनेगा। इसके अलावा, सेप्टम के पास ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने या प्रथिमिकी(FIR) दर्ज करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी आधार पर भर्ती के किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, जिसे संगठन, उम्मीदवारी रद्द करने का पर्याप्त कारण मानता है।

## 5.4 चेतावनी और कानूनी क्षेत्राधिकार

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डीआरडीओ के नाम/प्रतीक-चिह्न(लोगो) का गलत इस्तेमाल करके कुछ बेर्इमान तत्वों द्वारा दिए जा रहे धोखादड़ी वाले भर्ती विज्ञापनों और नौकरी के प्रस्तावों के झांसे में न आए। डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट [www.drdo.gov.in](http://www.drdo.gov.in) है, जिसका अनुसरण अभ्यर्थी संबंधित जानकारी/ सूचनाओं आदि के लिए कर सकते हैं।

सेटेम-11 भर्ती चक्र के संबंध में कोई भी विवाद केवल दिल्ली क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

## 5.5 संक्षेपाक्षर

सीएटी = श्रेणी, सीबीटी = कंप्यूटर आधारित परीक्षण, सीपीसी= केंद्रीय वेतन आयोग, सीएसटी = कैटीन स्टोर विभाग, ईक्यूआर = आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, ईएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, आईडी = फोटो के साथ पहचान, एमएसपी = मेधावी खेल व्यक्ति, एनओसी = अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनसीएल = गैर-क्रीमी लेयर, ओबीसी = अन्य पिछड़े वर्ग, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित।

## 5.6 सभी संबंधित प्रारूप(फॉर्म/फॉर्मेट) डीआरडीओ वैबसाइट [https://www.drdo.gov.in](http://www.drdo.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं

क्र. सं.	<b>Nomenclature/नामकरण</b>	<b>Annexure/ अनुलग्नक</b>
a.	The format of certificate to be produced by SC & ST candidates applying for appointment to posts under the government of India भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले एससी और एसटी अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक-I
b.	The format of certificate to be produced by Other Backward classes (OBC-NCL) candidates applying for appointment to posts under the government of India भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एन सी एल) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक-II
c.	The format of Declaration/Undertaking to be submitted by Other Backward Class candidates अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणापत्र/ वचनपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक-III
d.	The format of Income and Asset certificate to be produced by Economically Weaker Section (EWS) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक-IV
e.	Form V Disability Certificate (In case of single disability) फॉर्म V दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र	अनुलग्नक-V
f.	Form VI Disability Certificate (In case of multiple disabilities) फॉर्म VI दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विकलांगता प्रमाणपत्र (बहुविकलांगता की स्थिति में)	अनुलग्नक-VI
g.	Form VII UDID card फॉर्म VII UDID कार्ड	अनुलग्नक -VII
h.	Certificate for recommendation of Scribe and/or Compensatory Time for persons with disabilities and have limitation in writing विकलांग व्यक्तियों के लिए स्क्राईब/पाठक/प्रयोगशाला सहायक और/या प्रतिपूरक समय की सिफारिश के लिए प्रमाणपत्र	अनुलग्नक -VIII
i.	Letter of undertaking by the persons with disabilities as defined under Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 using the services of scribe लिपिक/पाठक/प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का उपयोग करके आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित विकलांग व्यक्तियों द्वारा वचनपत्र	अनुलग्नक-IX

j.	Undertaking to be given by the Ex-Servicemen (ESM) Candidates भूतपूर्व सैनिक(ईएसएम) अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचनपत्र	अनुलग्नक-X(A)
k.	The format of Certificate to be submitted by Ex-Servicemen Personnel regarding their employment from their commanding officer भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अपने कमांडिंग अधिकारी से उनके रोजगार के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक-X(B)
l.	The format of certificate to be submitted by Central Govt Civilian Employees/Departmental candidates seeking age relaxation केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों/विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा आयु में छूट के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक -XI
m.	List of Games/Sports of meritorious sportspersons (No. DOPT-1720781414772) मेधावी खिलाड़ियों के खेलों/खेलों की सूची (सं. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 17207814772)	अनुलग्नक -XII
n.	The format of Certificate to meritorious sportsperson for International/National/Inter-University/Education of the State/Khelo India competition राज्य/खेलो इंडिया प्रतियोगिता के अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय/शिक्षा के लिए मेधावी खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र का प्रारूप	अनुलग्नक -XIII (A-E)

#### CONTACT US

- Help Desk No:022-61087530" between Monday to Friday (During 10 am to 5 pm)  
Website: [www.drdo.gov.in](http://www.drdo.gov.in)

- Help Desk Tab in Online Application Portal

**Annexure-I**

**(The format of certificate to be produced by Scheduled Caste & Scheduled Tribe candidates applying for appointment to posts under the Government of India)**

A Candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the Sub-Divisional officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari\* \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_ village/town/\*in District/Division\* \_\_\_\_\_ of the State/Union Territory\*

\_\_\_\_\_ belongs to the Caste/Tribes \_\_\_\_\_ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes\* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950

The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950

The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951\*

The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951\*

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act , 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North Eastern Area (Reorganization) Act 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order 1962 @

The Constitution (Pondicherry ) Scheduled Castes Order 1964@

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) order, 1967@

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes order, 1968@

The Constitution (Goa , Daman & Diu )Scheduled Tribes order, 1968@

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order 1978@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order 1956@

The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act 991@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996

The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002

The Constitution (Scheduled Caste) orders (Amendment) Act, 2002

The Constitution (Scheduled Caste and Scheduled Tribes) orders (Amendment) Act, 2002

The Constitution (Scheduled Caste) orders (Amendment) Act, 2007.

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This Certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati \_\_\_\_\_ Father/ mother Sh./Smt.\_\_\_\_\_ of village\_\_\_\_\_ Distt.\_\_\_\_\_ Division\*\_\_\_\_\_ of the State/Union Territory\* \_\_\_\_\_ who belong to the \_\_\_\_\_ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union/Territory\* issued by \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_.

%3 Sh./Smt./Kumari and /or\* his /her family ordinarily reside(s) in village/town\* \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ District/Division\* \_\_\_\_\_ of the State/Union Territory of \_\_\_\_\_.

Place \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

\*\* Designation \_\_\_\_\_

(with seal of office)

\* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable

**NOTE:** The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

\*\*List of authorities empowered to issue Caste /Tribe Certificates:

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate /Sub-Divisional Magistrate/Presidency Magistrate/Extra-Asst Commissioner/ Taluka Magistrate / Executive Magistrate.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

**NOTE:** ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**Annexure-II**

**(Format of certificate to be produced by Other Backward Classes (NCL) candidates applying  
for appointment to posts under the government of India.)**

**(G-1 Dept of per. & Trg. OM NO 36033/28/94-Estt. (Res), dated 2-7-1997)**

This is to certify that Shri/Smt./Km.\* \_\_\_\_\_ Son/daughter/wife of  
Sh./Smt.\* \_\_\_\_\_ of village/town \_\_\_\_\_  
District/Division \_\_\_\_\_ in the \_\_\_\_\_ state belongs to the  
\_\_\_\_\_ community which is recognized as a backward class under:

- i) Resolution No. 12011/68/93-BCC dated the 10th September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary-Part I , Section I, No.186 dated 13th September, 1993.
- ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC, dated 19.10.1994 published in Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 163, dated 20th October1994
- iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May 1995 published in the Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 88, dated 25th May, 1995.
- iv) Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996
- v) Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996 published in the Gazette of India extraordinary Part I Section I No. 210, dated the 11th December 1996.
- vi) Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997
- vii) Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997
- viii) Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999
- ix) Resolution No. 12011/88/98-BCC, dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India extraordinary Part- I Section I No. 270 dated 6th December 1999
- x) Resolution No. 12011/36/99-BCC, dated 4th April ,2000 published in the Gazette of India extraordinary Part- I Section I No.71 dated 4<sup>th</sup> April 2000.
- xi) Resolution No. 12011/44/99-BCC, dated 21.9.2000 published in the Gazette of India extraordinary Part- I Section I No. 210 dated 21.09.2000.
- xii) Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 06/09/2001
- xiii) Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19/06/2003
- xiv) Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13/01/2004
- xv) Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16/01/2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section No. 210 dated 16/01/2006.
- xvi) Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12/03/2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part I Section No. 67 dated 12/03/2007.
- xvii) Resolution No. 12015/4/2007-BCC dated 18/08/2010
- xviii) Resolution No. 12015/13/2010-BCC dated 08/12/2011

Shri/Smt/Km \_\_\_\_\_ and/or his/ her family ordinarily reside(s) in the \_\_\_\_\_ District/ Division of the \_\_\_\_\_ State. This is also to certify that he/she **does not belong to the persons/sections (Creamy Layer)** mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India. Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/1993. and modified vide Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36033/3/2004- Estt(Res) dated 14/10/2008 or the latest notification of the Government of India.

Dated:

District Magistrate/ Deputy Commissioner/ Competent Authority Seal

\*Strike out whichever is not applicable

**Note:** (a) The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the people act 1950, (b) The authorities competent to issue caste certificates are indicated below:

(i) District Magistrate/additional Magistrate /Collector/Deputy Commissioner/additional deputy Commissioner/Deputy Collector/first Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate /Executive Magistrate /Extra Assistant Commissioner (not below the rank of First Class Stipendiary Magistrate) (ii) Chief Presidency Magistrate /additional Chief Presidency Magistrate /Presidency Magistrate (iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar; and (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

**Annexure-III**

**Form of Declaration/Undertaking to be submitted by OBC candidate  
(In addition to the community certificate)**

"I, \_\_\_\_\_ Son/Daughter of Shri \_\_\_\_\_ resident of village/town/city \_\_\_\_\_ district \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ hereby declare that I belong to the \_\_\_\_\_ community which is recognized as a backward class by the Government of India for purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36012/22/93-Estt. (SCT) dated 08/09/1993. It is also declared that **I do not belong to persons/sections (Creamy Layer)** mentioned in Column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08/09/1993 and its subsequent revision through O.M.No.36033/1/2013 and 13/09/2017."

Place:

Signature of Candidate:

Date:

Name of Candidate:

Registration No.:

Correspondence Address:

Mobile No.:

**Annexure-IV**

**Format of Income & Asset Certificate to be Produced by Economically Weaker Sections**

Government of \_\_\_\_\_  
(Name & Address of the authority issuing the certificate)  
Certificate No. \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

**VALID FOR THE YEAR \_\_\_\_\_**

1. This is to certify that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of \_\_\_\_\_ permanent resident of \_\_\_\_\_ Village/Street \_\_\_\_\_ Post Office \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ in the State/Union Territory \_\_\_\_\_ Pin Code \_\_\_\_\_ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income\* of his/her family\*\* is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year \_\_\_\_\_. His/her family does not own or possess any of the following assets\*\*\*:
- I. 5 acres of agricultural land and above;
  - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
  - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
  - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities
2. Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ belongs to the \_\_\_\_\_ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Passport size  
attested  
photograph of the  
applicant

Signature with seal of Office \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_

\*Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

\*\*The terms 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

\*\*\*The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

**Note : The authority competent to issue cast certificates are indicated below:**

- a) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/1<sup>st</sup> Class Stipendiary magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner
- b) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- c) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar and
- d) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family normally resides.

**Annexure-V**

**Form V Disability Certificate  
(In case of Single Disability)**  
**(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Certificate/UDID No.

Date:

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

This is to certify that I/we have carefully examined Shri./Smt./Kum. \_\_\_\_\_

Son/Wife/Daughter/Care of Shri./Smt. \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY)

\_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years, male/female \_\_\_\_\_ Registration No.

\_\_\_\_\_ Resident of \_\_\_\_\_, whose photograph

is affixed above, and I am/we are satisfied that:

(A) He/she is a case of (Any of the following disabilities):

- i. Locomotor disability
- ii. Muscular Dystrophy
- iii. Leprosy Cured
- iv. Dwarfism
- v. Cerebral Palsy
- vi. Acid Attack Victim
- vii. Low Vision
- viii. Blindness
- ix. Hearing Impairment
- x. Speech and Language Disabilities
- xi. Autism Spectrum Disorder
- xii. Mental Illness
- xiii. Chronic Neurological Conditions
- xiv. Multiple Sclerosis
- xv. Parkinson's Diseases
- xvi. Haemophilia
- xvii. Thalassemia
- xviii. Sickle Cell Disease

(B) Name of affected body part:

(C) The diagnosis in his/her case is \_\_\_\_\_

(D) He/she has \_\_\_\_\_ % (in figure) \_\_\_\_\_ percent (in words) disability and  
the nature of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of  
Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide<Notification No> dated  
\_\_\_\_\_.

Signature/thumb impression of the Person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Member(s)

Signature:

Name and Address of Medical Authority Issuing the Certificate

Logo of Government on India	Logo of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, GoI	Logo of Respective State or Union Territory
--------------------------------	--	--

**Annexure-VI****Form VI Disability Certificate (In case of multiple disabilities)  
(Name and Address of the Medical Authority Issuing the Certificate)**

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability

Certificate/UDID No.

Date of Issue:

This is to certify that we have carefully examined Shri./Smt./Kum. \_\_\_\_\_

Son/Wife/Daughter/Care of Shri./Smt. \_\_\_\_\_ Date of Birth (DD/MM/YY)

\_\_\_\_\_  
Age \_\_\_\_\_ years, Gender \_\_\_\_\_, Registration No. \_\_\_\_\_

Resident of \_\_\_\_\_, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

- A) He/she is a case of **Multiple Disability**. His/her extent of physical impairments/disabilities have been evaluated as per guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 notified by Government of India vide <Notification No> dated \_\_\_\_\_ for the disabilities below:

S. No.	Disability	Name of Affected body part	Diagnosis	Disability Percentage
1.	Locomotor Disability			
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision			
8.	Blindness			
9.	Hearing Impairment			
10.	Speech and Language disability			
11.	Intellectual Disability			

12.	Specific Learning Disability			
13.	Autism Spectrum Disorder			
14.	Mental illness			
15.	Chronic Neurological Condition			
16.	Multiple Sclerosis			
17.	Parkinson's Disease			
18.	Haemophilia			
19.	Thalassemia			
20.	Sickle Cell Disease			

(Note: Only the disabilities diagnosed will be listed)

(B) He/She has \_\_\_\_\_ % (in figure) \_\_\_\_\_ percent (In words) overall disability and the nature of certificate is (permanent/temporary) and valid till date \_\_\_\_\_.

Signature/thumb impression of the Person with Disability:

Signature of notified Medical Authority Members:

Signature:  
Name and Address of Medical Authority Issuing the Certificate

Form-VII

## UDID Card

[See rule 18(1)]

- A. White Card: When the disability percentage of a Person with Disability is below forty percent



- B. Yellow Card: When the disability percentage of a Person with Disability is forty percent and above but below eighty percent



- C. Blue Card: When the disability percentage of a Person with Disability is eighty percent and above



<b>Logo of Government of India</b>	<b>Logo of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, GoI</b>	<b>Logo of Respective State or Union Territory</b>
------------------------------------	--	--

**Annexure-VIII**

**Certificate for recommendation of Scribe and/or Compensatory Time for persons with disabilities as defined under Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 and have limitation in writing as specified in the Guidelines.**

This is to verify that, we have examined Mr/Ms/Mrs \_\_\_\_\_ (name of candidate), S/o / D/o \_\_\_\_\_ a resident of \_\_\_\_\_ (Vill/PO/PS/District/State), aged \_\_\_\_\_ yrs, a person with \_\_\_\_\_ (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by examining Bodies and is valid up to \_\_\_\_\_ (it is valid for maximum period of one year or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

## Annexure-IX

**Letter of undertaking by the persons with disabilities as defined under Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 using the services of scribe during written examinations conducted by various authorities as specified in the Guidelines.**

I \_\_\_\_\_, a candidate with \_\_\_\_\_ (nature of the disability/condition) appearing for the \_\_\_\_\_ (name of the examination) bearing Roll No.\_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ (name of the centre) in the District \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (name of the State). My qualification is \_\_\_\_\_.

2. I do hereby state that \_\_\_\_\_ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination. I further declare that there is no conflict of interest of any kind that may affect the impartiality of the examination.

3. I do hereby undertake that his/her qualification is \_\_\_\_\_. In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond the specified qualification for examination as mentioned in the extant Guidelines. I shall forfeit my right to the post/position/academic seat I am competing for and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(counter - signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

**Annexure-X(A)**

**Undertaking to be given by the Ex-Servicemen Candidates**

I \_\_\_\_\_ bearing Roll No \_\_\_\_\_ appearing for the Document

Verification of the \_\_\_\_\_ Examination, 20 \_\_\_\_,

I undertake that, if selected on the basis of recruitment/ examination to which the application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing Authority that I have been duly released/retired/ discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Reemployed in Central Civil Services and posts rules, 1979, as mentioned from time to time).

I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-S in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-S.

I further furnish the following information:

- a) Date of appointment in Armed Forces : \_\_\_\_\_
- b) My last Unit/Corps : \_\_\_\_\_
- c) Length of Service in Armed Forces : \_\_\_\_\_
- d) Date of discharge : \_\_\_\_\_
- e) If serving, the date of discharge shall be within one year from the date of publication of CEPTAM-11 Advertisement.

Place:

(Signature of the Candidate)

Date:

Name:

Rank:

**Annexure- X(B)**

**Format of Certificate to be submitted by Ex-Servicemen Personnel regarding their employment from their commanding officer**

1. It is informed that Shri/Smt/Kumari \_\_\_\_\_ working as \_\_\_\_\_ (Rank) in \_\_\_\_\_ unit/office has applied for the post of \_\_\_\_\_ against CEPTAM-11 Advertisement dated \_\_\_\_\_.
  
2. I, hereby, with the information available, certify in respect of Shri/Smt/Kumari \_\_\_\_\_ Number \_\_\_\_\_, working as \_\_\_\_\_ (Rank) as follows:
  - a) He /she will be completing/has completed/has completed period of engagement of \_\_\_\_\_ years (in words \_\_\_\_\_) for acquiring Ex-servicemen status, subject to fulfillment of other conditions on \_\_\_\_\_ (date).
  - b) He/she complete \_\_\_\_\_ years of service (in words \_\_\_\_\_) on the date of issue of this certificate and \_\_\_\_\_ years (in words \_\_\_\_\_) at the discharge from Army/Airforce/Navy service.
  - c) He/she is likely to complete his/her engagement and discharge from service on the \_\_\_\_\_ (date in DD/MM/YYYY format).
  - d) He/she will be release on selection to the post.

Place:

Signature:.....

Date:

Commanding Officer Name:

Designation/Appointment/Unit:

Office Seal

Annexure-XI

## **FORMAT OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES/DEPARTMENTAL CANDIDATES SEEKING AGE-RELAXATION**

(To be filled by the Head of the Office or Department in which the candidate is working)

It is certified that \*Shri/Smt./Km. \_\_\_\_\_ is a Central Government Civilian employee and is holding the post of \_\_\_\_\_ in the pay scale of Rs. \_\_\_\_\_ with 3 years regular service in the grade as on crucial date of eligibility of CEPTAM-11 Advertisement.

There is no objection to his/her appearing for Examination 20\_\_\_\_\_.

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

**Office Seal**

## Place

Date:

(\*Please delete the words which are not applicable)

**Annexure-XII**

**List of Games/Sports of meritorious sportspersons (No. DOPT-1720781414772)**

No.	Name of Sport	No.	Name of Sport	No.	Name of Sport	No.	Name of Sport
1.	Archery	18.	Equestrian	35.	Motor Sports	53.	Taekwondo
2.	Atheletics	19.	Fencing	36.	Net Ball	54.	Tennis-Koit
3.	Atya-Patya	20.	Football	37.	Para Sports (for sports discipline included in para Olympics and Para Asian Games)	55.	Tennis
4.	Badminton	21.	Golf	38.	Pencak Silat	56.	Tennis Bowling
5.	Ball-Badminton	22.	Gymnastics	39.	Polo	57.	Triathlon
6.	Baseball	23.	Handball	40.	Powerlifting	58.	Tug-of-war
7.	Basket Ball	24.	Hockey	41.	Shooting	59.	Volleyball
8.	Billiards & Snookers	25.	Ice-Hockey	42.	Shooting Ball	60.	Weightlifting
9.	Body-Building	26.	Ice-Skating	43.	Roll Ball	61.	Wushu
10.	Boxing	27.	Ice-Skiing	44.	Roller Skating	62.	Wrestling
11.	Bridge	28.	Judo	45.	Rowing	63.	Yachting
12.	Carrom	29.	Kabaddi	46.	Rugby	64.	Tennis Ball Cricket
13.	Chess	30.	Karate	47.	Sepak Takraw	65.	Yogasan
14.	Cricket	31.	Kayaking & Canoeing	48.	Soft Ball		
15.	Cycling	32.	Kho-Kho	50.	Soft Tennis		
16.	Cycle Polo	33.	Kudo	51.	Squash		
17.	Deaf Sports	34.	Mallakhamb	52.	Table Tennis		

**Annexure-XIII (A)**

(For representing India in an International Competition in one of the recognized Games/Sports)

**NATIONAL FEDERATION/NATIONAL ASSOCIATION OF \_\_\_\_\_**

**Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group C & D**  
**Service under the Central Government**

Certified that Sh./Smt./Kumar \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Shri \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ (complete address) represented the country in the game/event of \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ competition/Tournament held at \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament was \_\_\_\_\_.

The Certificate is being given on the basis of record available in the office of State Association of \_\_\_\_\_.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_  
Name of the Federation/National Association \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Seal \_\_\_\_\_

Note: This Certificate will be valid only when signed personally by the Secretary, National Federation/National Association

**(Annexure B of the Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. 14015/1/78-Estt (D) dated 4<sup>th</sup> August, 1980)**

**Annexure- XIII (B)**

(For representing a State of India in a National Competition in one of the recognized Games/Sports)

**STATE ASSOCIATION OF \_\_\_\_\_ IN THE GAME \_\_\_\_\_ OF \_\_\_\_\_**

**Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group C & D**

**Service under the Central Government**

Certified that Sh./Smt./Kumar \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Shri \_\_\_\_\_ and resident of \_\_\_\_\_ (complete address) represented the State of \_\_\_\_\_ in the game/event of \_\_\_\_\_ in the National competition/Tournament held at \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament was \_\_\_\_\_.

The Certificate is being given on the basis of record available in the office of State Association of \_\_\_\_\_.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Name of the State Association \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Seal \_\_\_\_\_

Note: This Certificate will be valid only when signed personally by the Secretary of the State Association.

**(Annexure B of the Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. 14015/1/78-Estt  
(D) dated 4<sup>th</sup> August, 1980)**

**Annexure- XIII (C)**

(For representing a University in the Inter-University Competition in one of the recognized Games/Sports)

**UNIVERSITY OF \_\_\_\_\_**  
**Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group C & D**  
**Service under the Central Government**

Certified that Sh./Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Shri \_\_\_\_\_ and resident of \_\_\_\_\_ (complete address) student of \_\_\_\_\_ represented the University of \_\_\_\_\_ in the game/event of \_\_\_\_\_ in the Inter-University competition/Tournament held at \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament was \_\_\_\_\_.

The Certificate is being given on the basis of record available in the office of Dean of Sports or Officer in overall charge of spots in the University of \_\_\_\_\_.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_  
Name of the University \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Seal \_\_\_\_\_

Note: This Certificate will be valid only when signed personally by Dean/Director or other officer in overall charge of sports in the University of \_\_\_\_\_.

**(Annexure B of the Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. 14015/1/78-Estt (D) dated 4<sup>th</sup> August, 1980)**

**Annexure- XIII (D)**

**DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTIONS/EDUCATION OF THE STATE OF \_\_\_\_\_**  
**Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group C & D**  
**Service under the Central Government**

Certified that Shri/Kumari \_\_\_\_\_ son/daughter of Shri \_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ (complete address) student of \_\_\_\_\_ represented the \_\_\_\_\_ State School Team in the game/event of \_\_\_\_\_ in the National Games for schools held at \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

The position obtained by the individual/team in the above said Competition/Tournament was \_\_\_\_\_.

The Certificate is being given on the basis of record available in the office of Directorate of Public Instruction/education of \_\_\_\_\_.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Seal \_\_\_\_\_

Note: This Certificate will be valid only when signed personally by Director or Additional/Joint or Deputy Director in overall charge of sports/games/for Schools in the Directorate of Public instruction/Education of the State.

**(Annexure B of the Department of Personnel and Administrative Reforms O.M. No. 14015/1/78-Estt (D) dated 4<sup>th</sup> August, 1980)**

**Annexure- XIII (E)**

(For representing in Khelo India University Games/Khelo India Youth Games/ Khelo India winter Games/Khelo India Para Games)

**Certificate to meritorious sportsmen for employment to Group C  
Service under the Central Government**

Certified that Shri/Smt./Kumari \_\_\_\_\_ son/Wife/daughter of Shri\_\_\_\_\_ resident of \_\_\_\_\_ (complete address) student of \_\_\_\_\_ represented the University/Institute/School of \_\_\_\_\_ in the game/event of \_\_\_\_\_ in Khelo India University Games/Khelo India Winter Games/Khelo India Para Games held at \_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_.

The position obtained by the individual/team in the above said competition/tournament was \_\_\_\_\_.

The Certificate is being given on the basis of records available in this office.

Place \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Designation \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
Seal \_\_\_\_\_

***Note: This Certificate will be valid only when signed personally by Officer designated/officer in charge from Sports authority of India for Khelo India University/Khelo India Youth games/Khelo India Winter Games/Khelo India Para Games.***

**(Annexure of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 14034/1/2020-Pers.Policy (D)  
Pt.Vol.II dated 4<sup>th</sup> March, 2024)**